



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

दूरभाष/Phone: 07152-230901, वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org

रोज़गार सूचना

(क्रमांक: म.गां.अं.हिं.विं.स्था. एवं प्रशा./21/2025, दिनांक: 28.11.2025)

अतिथि अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति हेतु सूचना

विश्वविद्यालय के विधि विभाग (वर्धा मुख्यालय) के लिए अकादमिक सत्र 2025-26 तक के लिए अतिथि अध्यापकों की पूर्णतया अस्थायी तौर पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को ₹1,500/- प्रति कालांश (अधिकतम ₹50,000/- प्रतिमाह) की परिसीमा में, मानदेय दिया जाएगा।

इच्छुक आवेदक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर पूर्णतया अस्थायी तौर पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित विवरण - अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता तथा अनुभव के विवरण और संबंधित प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति सहित दिनांक: 11.12.2025 (गुरुवार) सायं 05:00 बजे तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन जमा करें।

पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है तथा नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक F.25-1/2018(PS/MISC.) दिनांक: 28 जनवरी 2019 के अनुसार होंगी, जिसकी प्रति संलग्न है :

विद्यापीठ का नाम	विभाग/ केंद्र का नाम	विषय	पद एवं श्रेणी	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अन्य अपेक्षित योग्यताएँ
विधि विद्यापीठ	विधि विभाग	विधि	01- अन्य पिछड़ा वर्ग 01 - अनुसूचित जनजाति	1. यूजीसी मानदंडों के अनुरूप 2. संबंधित/आनुषंगिक विषय में नेट एवं/ पीएच.डी. स्नातकोत्तर विषय - विधि	- हिंदी में अध्यापन की क्षमता - कम्प्यूटर अनुप्रयोग में कुशलता - संबंधित विषय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का शोध एवं प्रकाशन

निबंधन एवं शर्तें

- समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इस हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.hindivishwa.org) के रोजगार सूचना कॉलम पर जाकर दिये गये लिंक पर आवेदन भरा जा सकता है। लिंक दिनांक : 28.11.2025 अपराह्न 03:00 बजे से उपलब्ध होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रियान्तर्गत राशि रु. 200/- तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राशि रु. 100/- का (गैर-वापसी) शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांगजन एवं महिला उम्मीदवारों को पंजीयन शुल्क में छूट रहेगी।
- विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाये / बढ़ाये जाने का अधिकार होगा।
- इस विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.hindivishwa.org) पर ही दिया जाएगा। उक्त विज्ञापन निरस्त करने, पद को भरने अथवा न भरने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
- साक्षात्कार सम्मिश्र (ऑनलाइन/ प्रत्यक्ष) पद्धति से होगा। ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु आवश्यक तकनीकी व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- साक्षात्कार हेतु प्रत्यक्ष उपस्थित अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जायेगी। अर्ह पाये गये उम्मीदवारों को ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु लिंक आवेदकों द्वारा दिये गये ईमेल आईडी पर साक्षात्कार से एक घंटा पूर्व भेजा जाएगा। इसलिए आवेदकों के हित में होगा कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें।
- आवेदन भरने संबंधी किसी भी तरह की समस्या होने अथवा जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक: 01.12.2025 से 10.12.2025 तक (कार्यदिवसों में) सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक निम्नांकित से संपर्क किया जा सकता है :

- ऑनलाइन भुगतान अथवा तकनीकी समस्या हेतु - techsupport@hindivishwa.ac.in
- अन्य जानकारी हेतु - recruitmentcell@hindivishwa.ac.in

कादर खान
(कुलसचिव)
28/11/25



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph : 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

No.F.25-1/2018(PS/MISC.)

28th January, 2019

To,

The Registrar
All Universities

Subject: Revised guidelines for enhancement of the Rates of Honorarium of Guest Faculty.

Madam/Sir,

The Commission in its 537th meeting held on 10th December, 2018 considered the issue of enhancement of the rates of Honorarium of Guest Faculty in universities and colleges consequent upon the implementation of the recommendations of the 7th Pay Commission and resolved as follows :

1. The Honorarium for Guest Faculty be enhanced to Rs.1500/- per lecture subject to a maximum of Rs.50,000/- per month.
2. The Guest Faculty be appointed only against sanctioned post. However, for the universities where the sanctioned posts are not adequate as per the teaching working load, the number of Guest Faculty to be appointed can be up to 20% over and above the sanctioned posts.
3. The qualification for Guest Faculty shall be the same as those prescribed for the regular Assistant Professors of Universities/Colleges in UGC Regulations.
4. The Selection procedure for appointing Guest Faculty shall be the same as those of regularly appointed Assistant Professors. However, the composition of the Selection Committee shall be as follows:
 - (i) The Vice-Chancellor or his/her nominee shall be the Chairperson of the Selection Committee
 - (ii) One expert in the concerned subject nominated by the Vice-chancellor.
 - (iii) Dean of the concerned Faculty; wherever applicable
 - (iv) Head/Chairperson of the Department/School

Contd. 2

: 2 :

- (v) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor or Acting Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the Selection Committee does not belong to that category.

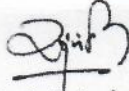
At least four members, including one outside subject expert shall constitute the quorum.

5. Guest Faculty will not be treated like regular teachers for the purpose of voting rights or for becoming the members of the various statutory bodies of the university.
6. The superannuated teachers may also be considered for engagement as Guest Faculty subject to a maximum age limit of 70 years.
7. The Guest Faculty will not be given the benefit of allowances, pension, gratuity and leave etc. as admissible to the regular teachers.

These guidelines will come into force with effect from the date of issue of this letter.

The contents of the letter may be brought to the notice of the affiliated colleges/institutions also.

Yours faithfully,


(Rajnish Jain)
Secretary

Copy to :

1. All State Higher Education Secretaries.
2. All Regional Offices of the UGC.
3. Publication Officer, UGC for uploading on UGC website.